

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2023/डी-

-सार्वजनिक सूचना:-

904

दिनांक-

12/9/23

179
15/3/23

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

क. सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	महेश कुमार शर्मा/मोहन लाल शर्मा (टैगोर नगर गू.नि.स.स.लि० की योजना-शिव नगर)	66सी	75.87
2	हनुमान सहाय यादव/छोटूराम यादव (दी शिवा को-आप. हाउसिंग सो. लि० की योजना-हीरा नगर-ए)अपजीकृत इकरारनामा	254	292
3	छोटूलाल/नानगराम (टैगोर नगर गू.नि.स.स.लि० की योजना-पार्वती विहार विस्तार)	31	100
4	राजेन्द्र नाथ पारीक/बैजनाथ पारीक (बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-चन्द्रवाटिका-सी)	सी-37	173
5	नन्दू सिंह राठौड़/भुर सिंह राठौड़ (मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-पवनपुत्र-जी)	169	200
6	विक्रम सिंह/रामरख (गुलाब बाडी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-विकास नगर)	18	129
7	विक्रम सिंह/रामरख (गुलाब बाडी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-विकास नगर)	3	171
8	विक्रम सिंह/रामरख (गुलाब बाडी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-विकास नगर)	5	171
9	विक्रम सिंह/रामरख (गुलाब बाडी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-विकास नगर)	18	129
10	राजवीर सिंह जरिये मु.आम विक्रम सिंह/रामरख (गुलाब बाडी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-विकास नगर)	2	171
11	राजवीर सिंह जरिये मु.आम विक्रम सिंह/रामरख (गुलाब बाडी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-विकास नगर)	20	253
12	राजवीर सिंह जरिये मु.आम विक्रम सिंह/रामरख (गुलाब बाडी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-विकास नगर)	1	390
13	शिखा सिंह/विक्रमसिंह (गुलाब बाडी गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-विकास नगर)	4	171
14	रमेश लोहिया/घासीराम लोहिया (मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-लोहिया कॉलोनी)	ए-5	273
15	प्रहलाद कुमार यादव/भैरूराम यादव (भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-कल्याण विहार)	9	300
16	पप्पी/रतन लाल (मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना-विकास नगर-ई)	53	101
17	तारा चन्द/जगदीश (अपोलो नगर को-आप. हाउसिंग सो. लि० की योजना-हीरा नगर-ए)	137	108.33

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-आ
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 8 फॉन्ट साइज में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।
- उक्त पत्रावली में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनाएं

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-आ



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102874 / 51-3666

DATED- 6/9/23

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्री महेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री बेद प्रकाश गुप्ता, निवासी प्लाट न. ए-27, अम्बाबाड़ी जयपुर एवं मैसर्स गुलमोहर डवलपर्स पंजीकृत कार्यालय ई-5, एम.आई.ए. मालवीय नगर, जयपुर द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-नृसिंहपुरा उर्फ रिक्शा तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	श्री महेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री बेद प्रकाश गुप्ता, निवासी प्लाट न. ए-27, अम्बाबाड़ी जयपुर	720 / 408	0.0100 हैक्टेयर
		724 / 529	0.0900 हैक्टेयर
ग्राम- नृसिंहपुरा उर्फ रिक्शा तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	मैसर्स गुलमोहर डवलपर्स पंजीकृत कार्यालय ई-5, एम.आई.ए. मालवीय नगर, जयपुर.	721 / 408	0.0300 हैक्टेयर
		725 / 529	0.1700 हैक्टेयर
		407 / 683	0.0400 हैक्टेयर
		409	0.1300 हैक्टेयर
कुल		कुल किता 6	रकबा 0.4700 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 6/9/23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी-जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8320}; फैक्स- +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102816

18863

DATED-14/9/2023

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्रीमती निर्मला जुनेजा पत्नी श्री प्रीतम लाल जुनेजा निवासी 2/518, काला कुँआ, हाउसिंग बोर्ड, अलवर (राज.) द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

अर्थात:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-नृसिंहपुरा उर्फ रिक्शा तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	श्रीमती निर्मला जुनेजा पत्नी श्री प्रीतम लाल जुनेजा	551	0.1700
कुल		कुल किता 01	रकबा 0.1700 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है। और तदनुसार मामलें का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज...14/9/23 को जारी की गयी।

उपायुक्त जोन-9
प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
उपायुक्त जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102811

/ 3862

DATED- 14/9/2023

लोक सूचना


खातेदार आवेदक श्री रतन सिंह अरोड़ा पुत्र स्व. श्री मूल चंद जी निवासी फ्लैट नम्बर 402, सिंह राज तिलक अपार्टमेंट, प्लॉट नम्बर बी-29, प्रभु मार्ग, तिलक नगर, जयपुर (राज.) द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-नृसिंहपुरा उर्फ रिक्शा तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	श्री रतन सिंह अरोड़ा पुत्र स्व. श्री मूल चंद	554/2	0.0500
		718/546	0.0800
		547	0.2100
		548	0.2000
		549	0.2000
कुल		कुल किता 05	रकबा 0.7400 हैक्टेयर


इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है। और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 14/9/23 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी, जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिनिधी-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

विषय-आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री रतनलाल, श्री मामराज तंवर, श्री शम्भू दयाल रैगर पुत्रान स्व. श्री बल्ला राम तंवर	श्री बल्ला राम तंवर पुत्र श्री झूथा राम तंवर	20 A	दी सांगानेर कॉ.हॉ.सो.लि.	दीपक कॉलोनी-ए	फिहोल्ड लीजडीड	मूल आवंटी की मृत्यु उपरांत पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर आवेदन
2	श्री श्याम बिहारी शर्मा पुत्र स्व. हरिनारायण शर्मा	श्री संजय शर्मा पुत्र श्री कुंज बिहारी शर्मा	A-21	तोपखानादेश गृ.नि.स.स	बुद्धविहार	नामहस्तांतरण	मृत्यु उपरांत पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर
3	श्री श्याम बिहारी शर्मा पुत्र स्व. हरिनारायण शर्मा	श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री कुंज बिहारी शर्मा	B-188	तोपखानादेश गृ.नि.स.स	बुद्धविहार	नामहस्तांतरण	मृत्यु उपरांत पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर
4	श्री श्याम बिहारी शर्मा पुत्र स्व. हरिनारायण शर्मा	श्री कन्हैया लाल शर्मा पुत्र श्री राम सहाय शर्मा	A-3	तोपखानादेश गृ.नि.स.स	बुद्धविहार	नामहस्तांतरण	मृत्यु उपरांत पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर
5	श्री श्याम बिहारी शर्मा पुत्र स्व. हरिनारायण शर्मा	श्री कन्हैया लाल शर्मा पुत्र श्री राम सहाय शर्मा	B-187	तोपखानादेश गृ.नि.स.स	बुद्धविहार	नामहस्तांतरण	मृत्यु उपरांत पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर
6	श्री संतोष कुमार शर्मा पुत्र श्रीराम स्वरूप शर्मा	श्री जितेन्द्र कुमार नामा पुत्र श्री रामनारायण नामा	129A	श्री रामराजपुरा गृ.नि.स.स.	मंगल विहार	फिहोल्ड लीजडीड	अंजीकृत इकरारनामा पर बेचान के आधार पर

उपस्थित/जो नमो-9
जविप्रा विप्रप्रयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर.

जविप्रा/जोन-9/2023/ क्रमांक:/डी- 3829
दिनांक 13/9/2023

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	रोवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री मुकेश पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र	श्री मुकेश पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र	ए-46	153.00 व.ग.	अग्बेश्वर गृ. नि.स.स.	रामेश्वर एनक्लेव एम ए	लीजडीड	सूची में नाम दर्ज करने हेतु
2.	श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री राजाराम शर्मा	श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री राजाराम शर्मा	81	145.00 व.ग.	अग्बेश्वर गृ. नि.स.स.	प्रकाश एनक्लेव	लीजडीड	सूची में नाम दर्ज करने हेतु
3.	श्रीमती शिखा शर्मा पत्नि श्री विजय शर्मा	श्रीमती शिखा शर्मा पत्नि श्री विजय शर्मा	83	111.11 व.ग.	अग्बेश्वर गृ. नि.स.स.	प्रकाश एनक्लेव	लीजडीड	सूची में नाम दर्ज करने हेतु

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लीजडीड/नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने में किराी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।


उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2023/डी- 8768

दिनांक 14-9-2023

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दुरभाष - +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स-+91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी - 2580

दिनांक 13/9/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री अजय कुमार सिंह पुत्र स्व. श्री महेन्द्र सिंह राघव एवं श्रीमती कृपा देवी पत्नी स्व. श्री महेन्द्र सिंह राघव	मंगलम होम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एलएलपी	106	66.17 वर्गमीटर	निजी खातेदारी	मंगलम द्वारिका ग्रांड सिटी ब्लॉक ई पार्ट-1	लीज होल्ड से फ्री-होल्ड	विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण व शपथ पत्र
2.	श्री अजय कुमार सिंह पुत्र स्व. श्री महेन्द्र सिंह राघव एवं श्रीमती कृपा देवी पत्नी स्व. श्री महेन्द्र सिंह राघव	मंगलम होम कन्स्ट्रक्शन कम्पनी एलएलपी	105	66.17 वर्गमीटर	निजी खातेदारी	मंगलम द्वारिका ग्रांड सिटी ब्लॉक ई पार्ट-1	लीज होल्ड से फ्री-होल्ड	विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण व शपथ पत्र
3.	श्री महेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र स्व. श्री पृथ्वी राम चौधरी	श्रीमती कला अग्रवाल पत्नी श्री महेन्द्र कुमार चौधरी	1110	200 वर्गगज	निजी खातेदारी	बालाजी एनक्लेव	लीज होल्ड से फ्री-होल्ड	मृत्यु प्रमाण व शपथ पत्र, हकत्याग पत्र
4.	श्री दिक्की पुत्र स्व. श्री श्याम लाल	श्री श्याम लाल कनोजिया पुत्र श्री प्यारे लाल कनोजिया	एफ-4/एसएफ/204	निर्मित आवारा	जविप्रा	जयसिंहपुरा वास भांकरोटा दीएसयूपी योजना	फ्री-होल्ड	मृत्यु प्रमाण पत्र, हकत्याग पत्र

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञापित प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी- 2079

दिनांक 13/9/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री लीलाधर शर्मा, श्री नेमीचन्द जांगिड एवं श्री राजेश जांगिड पुत्रान श्री मदन लाल शर्मा	श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री बालचन्द शर्मा	121	258.69 व.ग.	सैन कॉलोनी गृ.नि.स.स.	राधा गोविन्द कॉलोनी	नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड पट्टा	सजरा शपथ पत्र, रजिस्टर्ड वसीयत, मृत्यु प्रमाण-पत्र इत्यादि
2	श्री राजेश सरीन पुत्र स्व. सुदेश कुमार वर्मा	श्री सुदेश कुमार वर्मा पुत्र श्री मुंशीराम	32 में से पूर्वी हिस्सा	266.66 व.ग.	दी राजहंस को-आपरेटिव हा.सो. लि.	स्कीम नम्बर-2 ब्रह्मपुरी	नाम हस्तान्तरण / उपविभाजन / फ्री होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण-पत्र, रजिस्टर्ड हक त्याग एवं बटवारानाम इत्यादि
3	श्री सजीव सरीन पुत्र स्व. सुदेश कुमार वर्मा	श्री सुदेश कुमार वर्मा पुत्र श्री मुंशीराम	32 में से पश्चिमी हिस्सा	266.66 व.ग.	दी राजहंस को-आपरेटिव हा.सो. लि.	स्कीम नम्बर-2 ब्रह्मपुरी	नाम हस्तान्तरण / उपविभाजन / फ्री होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण-पत्र, रजिस्टर्ड हक त्याग एवं बटवारानाम इत्यादि

उपायुक्त जोन-2

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-2294

दिनांक 14-9-22

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 100 फीट चौड़ी जोनल प्लान सड़क एवं व्यावसायिक भू-पट्टी में आ रही भूमि राजस्व ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 2171 रकबा 1.6000 हैक्ट. में से 5851.95 व.मी. भूमि के खातेदार श्री राधेश्याम, शंकर पुत्रान श्री सुज्या द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

ast

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

2. रक्षित पत्रावली।

dl
14/9

उपायुक्त, जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-13

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102758

13-2403

दिनांक: 14/09/2023

लोक सूचना

श्री BABU LAL पुत्र श्री LALA RAM SHARMA जाति BRAHMAN निवासी SEJAWALI KI DHANI FATEHPURA SAMOD CHOMU JAIPUR

श्री GAJANAND SHARMA पुत्र श्री LALA RAM SHARMA जाति BRAHMAN निवासी SEJAWALI KI DHANI FATEHPURA SAMOD CHOMU JAIPUR

श्री MOHAN LAL SHARMA पुत्र श्री LALA RAM SHARMA जाति BRAHMAN निवासी SEJAWALI KI DHANI FATEHPURA SAMOD CHOMU JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	चौमू चौमू (जयपुर)	GAJANAND SHARMA, BABU LAL, MOHAN LAL SHARMA	7080/4	900	0.09
				कुल	0.09

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 14-09-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 3668

दिनांक: 8/9
2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 300 फीट (गोनेर रोड) सैक्टर रोड में आ रही भूमि ग्राम दांतली तह. सांगानेर के खसरा नम्बर 1088 रकबा 4.21 हैक्टेयर में से प्रभावित रकबा 260.00 वर्ग मीटर एवं खसरा नम्बर 1089 रकबा 0.2600 हैक्टेयर में से प्रभावित रकबा 40 वर्ग मीटर कुल किता 2 कुल प्रभावित रकबा 300.00 वर्ग मीटर के खातेदार श्रवण लाल पुत्र कानाराम हिस्सा 4/447 निवासी-ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा, तह. सांगानेर, जयपुर द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुये राज्य सरकार के प्रचलित नीति/आदेश /परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी सम्बन्धितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन /वाद विवाद/स्वामित्व सम्बन्धित विवाद हो तो कृपया जोन-9 कार्यालय पार्किंग बिल्डिंग, तृतीय तल, कमरा नम्बर 306, जविप्रा जयपुर में 7 दिवस में मय समुचित सम्बन्धित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि में पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करावे।

जयपुर विकास प्राधिकरण-9
जविप्रा जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 3673

दिनांक: 8/9/2023

सार्वजनिक नोटिस



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 3676

दिनांक: 8/9/2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 300 फीट (गोनेर रोड) सैक्टर रोड में आ रही भूमि ग्राम दांतली तह. सांगानेर के खसरा नम्बर 1304/909 रकबा 0.5810 हेक्टेयर कुल किता 1 कुल प्रभावित रकबा 0.5810 हेक्टेयर के खातेदार नीतु मीणा पत्नी रामकिशोर मीणा हिस्सा 1/2 एवं प्रियंका मीणा पत्नी लालचन्द मीणा हिस्सा 1/2 निवासी-ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा, तह. सांगानेर, जयपुर द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुये राज्य सरकार के प्रचलित नीति/आदेश /परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी सम्बन्धितों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन /वाद विवाद/स्वामित्व सम्बन्धित विवाद हो तो कृपया जोन-9 कार्यालय पार्किंग बिल्डिंग, तृतीय तल, कमरा नम्बर 306, जविप्रा जयपुर में 7 दिवस में मय समुचित सम्बन्धित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि में पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करावे।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर



क्रमांक: जविप्रा/जोन-09/2023/डी- 3676

दिनांक :- 8/9/2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 300 फीट (गोनेर रोड) एवं 100 फीट (गोनेर रोड से चक करोल आवासीय योजना की ओर) सेक्टर रोड में आ रही भूमि ग्राम दांतली तह0 सांगानेर के खसरा नम्बर 1303/283 रकबा 0.1440 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1300/128 रकबा 0.1770 हैक्टेयर कुल कित्ता 02 कुल प्रभावित 0.3210 हैक्टेयर के खातेदार नीतू मीणा पत्नी रामकिशोर मीणा हिस्सा 1/2 एवं प्रियंका मीणा पत्नी लालचन्द मीणा हिस्सा 1/2 निवासी ग्राम कल्याणपुरा उर्फ खातीपुरा तह0 सांगानेर जयपुर द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुये राज्य सरकार के प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी सम्बन्धितों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व सम्बन्धित विवाद हो तो कृपया जोन-09 कार्यालय पार्किंग बिल्डिंग, तृतीय तल, कमरा नम्बर 306, जविप्रा जयपुर में 07 दिवस में मय समुचित सम्बन्धित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहे।

सचिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।

उपायुक्त, जोन-09
जविप्रा, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-3046

दिनांक:- 15/9/2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण की जोनल प्लान 10 की 60 मीटर सैक्टर सड़क (वेस्ट वे हाईट्स से स्वर्ण विहार से होकर डिग्गी मोड़ को मिलाने वाली 60 मीटर सैक्टर रोड़ से मिलने वाली हयात होटल से पार्श्वनाथ नारायण सिटी से होकर 200 फीट रोड़ तक) 48 मीटर सैक्टर रोड़ में आ रही भूमि राजस्व ग्राम सुखिया तहसील सांगानेर जयपुर के ख.नं. 180 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, ख.नं. 190 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, ख.नं. 718/187 रकबा 0.0300 हैक्टेयर किता 03 कुल रकबा 0.2100 हैक्टेयर एवं ग्राम जैतपुरा उर्फ हाज्यावाला तहसील सांगानेर के ख.नं. 883/270 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, ख.नं. 897/282 रकबा 0.0600 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि के खातेदार श्री गणेश, महेन्द्र, दिनेश पुत्रान् स्व० श्री रामलाल व श्रीमती प्रभु देवी पत्नी स्व० श्री शंकरलाल एवं श्री भंवरलाल पुत्र स्व० श्री गोकुल द्वारा जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद/विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-8 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली

उपायुक्त जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी- 3108


दिनांक:- 15/9/2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती पुष्पा देवी पारिक	जे-25	जविप्रा	सी-स्कीम	पट्टा	मृत्यु प्रमाण पत्र, अपंजीकृत वसीयतनामा


उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी- 3107


दिनांक:- 15/9/2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती रोचा सोनी	शॉप-2, डी-ब्लॉक लोकल शॉपिंग सेन्टर	जविप्रा	मालवीय नगर	पट्टा	अपंजीकृत वसीयतनामा, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र


उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

प्रशासन शहरी के संग अगियान-2021 के तहत जोन-12 में निम्न आवेदक द्वारा नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	भू.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री राजेश गुप्ता पुत्र रव. श्री केदार प्रसाद गुप्ता	श्री गूपेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल	जे-42	200.00 वर्ग.	निजी खातेदार	ग्रीन विवेणी ब्लॉक जे	नाम हस्तान्तरण व फ्री होल्ड पट्टा हेतु	नोटरी से प्रमाणित वसीयतनामा के आधार पर

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लीजडीड/नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दिया जावेगा।

उपस्थित जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/जोन-12/2023/डी- 8790

दिनांक 15-9-2023

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी- 3051

दिनांक:- 15/9/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्र	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री जाहिद खान पुत्र श्री रज्जा अली खान	हरे कृष्णा होटल्स प्रा.लि. डायरेक्टर ओ.पी. मोदी पुत्र श्री पूरण मल मोदी	25	311.11 व०ग०	हरे कृष्णा विकास समिति	हरे कृष्णा विलेज-आ	फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु.	मूल दस्तावेज खो जाने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत एफ.आई.आर., खोया-पाया एवं अपंजीकृत मु०आम के आधार पर।
2	श्री मोहम्मद जाहिद अली खान पुत्र श्री मोहम्मद रज्जा अली खान	हरे कृष्णा होटल्स प्रा.लि. डायरेक्टर ओ.पी. मोदी पुत्र श्री पूरण मल मोदी	26	400 व०ग०	हरे कृष्णा विकास समिति	हरे कृष्णा विलेज-आ	फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु	मूल दस्तावेज खो जाने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत एफ.आई.आर., खोया-पाया एवं अपंजीकृत मु०आम के आधार पर।
3	श्री मोहम्मद जाहिद अली खान पुत्र श्री मोहम्मद रज्जा अली खान	हरे कृष्णा होटल्स प्रा.लि. डायरेक्टर ओ.पी. मोदी पुत्र श्री पूरण मल मोदी	27	400 व०ग०	हरे कृष्णा विकास समिति	हरे कृष्णा विलेज-आ	फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु	मूल दस्तावेज खो जाने पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत एफ.आई.आर., खोया-पाया एवं अपंजीकृत मु०आम के आधार पर।
4	श्रीमती सुमन पत्नी स्व० श्री सीताराम बैरवा, श्री कुलदीप पुत्र स्व० श्री सीताराम बैरवा एवं विमल पुत्र स्व० श्री सीताराम बैरवा जरिये सारंक्षक माता सुमन	श्री श्योराम बैरवा पुत्र श्री रामनाथ बैरवा	55-बी	62.50 व०ग०	रामराजपुरा गृ.नि.स.स.	नारायण विहार	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु।	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर
5	श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र नाथ	श्री पप्पु लाल चौधरी पुत्र श्री कालूराम चौधरी	82-ए	100 व०ग०	लुनियावास गृ.नि.स.स.	गोविन्द नगर	फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु।	सदस्यता सूची में भूखण्ड संख्या 82ए पर आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने कारण।
6	श्रीमती पदमा देवी धनोपिया पत्नी श्री रामगोपाल धनोपिया	श्रीमती सीमा चौहान पत्नी श्री विनोद सिंह चौहान	05	125 व०ग०	लुनियावास गृ.नि.स.स.	भंगल विहार-ए	पट्टा जारी करने हेतु।	सदस्यता सूची में भूखण्ड संख्या 5 पर आवेदक का नाम दर्ज नहीं होने कारण।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-LU2012/JDA/2023-24/102884/

11-2411

दिनांक:-

15/9/23

लोक सूचना

गुलशन फैशन एलएलपी जरिये अधिकृत निदेशक विक्रम सुखानी हिस्सा-पूर्ण कार्यालय एफई-18, मालवीया इण्डस्ट्रीयल एरिया, मालवीया नगर, जयपुर (LLP Identification No. ABZ-6809) खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक (रिसोर्ट) उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

क्र. स.	ग्राम, तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	ग्राम-टीकमपुरा तहसील-जमवारामगढ़, जिला-जयपुर	गुलशन फैशन एलएलपी जरिये अधिकृत निदेशक विक्रम सुखानी हिस्सा-पूर्ण कार्यालय एफई-18, मालवीया इण्डस्ट्रीयल एरिया, मालवीया नगर, जयपुर (LLP Identification No. ABZ-6809) खातेदार	383	0.0379
			384	0.1517
			385	8.0296
			कुल रकबा 8.2192 हेक्टे.	

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 15/9/23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-जनसम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त लोक सूचना का प्रकाशन आपके स्तर से दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना का प्रकाशन रोस्टर अनुसार करवाकर समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करावें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-5/2023/डी-2008

दिनांक: 15-9-23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ. नि. स. स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	149056	श्रीमती मीनू अग्रवाल पत्नी श्री सत्य नारायण एवं श्रीमती अनिला अग्रवाल पत्नी श्री सतीश अग्रवाल	श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री भंवर लाल	90	217.00	न्यू पिकसिटी	महावीर नगर-II	नियमन एवं फ्री होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा शपथ पत्र
2.	150134	श्रीमती माला माथुर, श्री अशोक चन्द्रा माथुर, श्री अतुल चन्द्रा माथुर एवं श्री शरद चन्द्रा माथुर	श्रीमती लीला चन्द्रा माथुर पत्नी श्री हरीश चन्द्र	सी-71	272.22	न्यू पिकसिटी	श्याम नगर	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सजरा शपथ पत्र
3.	150795	श्री विपिन अग्रवाल पुत्र श्री जुगल किशोर अग्रवाल	श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री जुगल किशोर	202	200.00	लंकापुरी	शांति नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
4.	137149	श्री जिमिश सेठ पुत्र स्व. श्री चन्दू लाल सेठ	श्री रमेश सेठ पुत्र श्री चन्दू लाल सेठ	43	88.88	जविप्रा	न्यू आतिश मार्केट	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा शपथ पत्र एवं बंटवारानामा
5.	147443	श्री राम कुमार चौधरी पुत्र स्व. श्री रामजी लाल	श्री राम कुमार चौधरी पुत्र स्व. श्री	21	366.6	श्री महाराजा गोपालपुरा	प्रेम नगर-I	नियमन एवं पट्टा विलेख	दस्तावेज गुम होने बाबत

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा संकिल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

6.	147081	श्री राम कुमार चौधरी पुत्र स्व. श्री रामजी लाल	श्री राम कुमार चौधरी पुत्र स्व. श्री रामजी लाल	21 ए	366.6	श्री महाराजा गोपालपुरा	प्रेम नगर-1	नियमन एवं पट्टा विलेख	दस्तावेज गुम होने बाबत
7.	145268	श्री संजय थावानी व श्री भगवान दास थावानी पुत्रान् श्री कन्हैया लाल	श्रीमती माया देवी पत्नी श्री कन्हैया लाल	एस-39	108.88	न्यू पिकसिटी	गीजगढ विहार	नाम हस्तान्तरण	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-5

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2563234) ; ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} ; फैक्स - +91-141-2574555

क्रमांक:जविप्रा/उपा, जोन-8/2023/डी-3049

दिनांक:- 15/9/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्र	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती नानगी देवी पत्नी स्व० श्री केसर राम	श्री केशरा बैरवा पुत्र श्री नाथूराम बैरवा	जी-1403	33.40	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	नाम हस्तान्तरण एवं पट्टा जारी करने हेतु	पंजीकृत हकत्याग पत्र दिनांक 09.06.2023 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर

उपायुक्त जोन - 8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि :- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन - 8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-3048

दिनांक:- 15/9/2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की ट्रक टर्मिनल (वेस्ट वे हाईट्स) योजना द्वितीय फेज हेतु अवाप्ताधीन राजस्व ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर के अवाप्त खसरा नम्बर 864 व 865 कुल रकबा 1.16 हैक्टेयर की एवज में 25 प्रतिशत (20 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रफल 2320 व0मी0 एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक क्षेत्रफल 580 व0मी0) विकसित भूमि के भूखण्ड आवंटन किये जाने हेतु खातेदार श्री बाबूलाल शर्मा, राधेश्याम शर्मा, कन्हैया शर्मा पुत्रान् स्व0 श्री लालाराम शर्मा द्वारा राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-8 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली

उपस्थित जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ. नोट

विषय:- प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत नियमन शिविर के सम्बन्ध में।

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे / अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री संतोष शर्मा पुत्र श्री रामभजन शर्मा	श्री संतोष शर्मा पुत्र श्री रामभजन शर्मा	164	58.33	प्रागपुरा गृनिसस	श्री वैष्णव विहार	लीजडीड जारी करने हेतु	समिति द्वारा जारी सदस्यता सूची मे नाम अंकित नही के सम्बन्ध मे।

उपायुक्त जयपुर-6
जविप्रा, जयपुर
जयपुर, जयपुर

प्रतिलिपि- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र मे कराने का श्रम करावे।

यू.ओ.नोट. क्रमांक. जविप्रा/उपा.जोन-06/23/डी-2784

दिनांक: 14-9-23

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2570256.) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल : (rajasthan.gov.in)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 12011

दिनांक 15/9/23

प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन आम सूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्ड के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति का भू-उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज सम्बन्धित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारि का नाम	पुनर्गठित भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू-उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि.स. स/निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान-2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू-उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	07	1. श्रीमती मेघना राठौड़ 2. श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत 3. श्री सुनील कुमार नाहर, 4. श्री राजेश नाहर	1. श्रीमती मेघना राठौड़ 2. श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत 3. श्री सुनील कुमार नाहर, 4. श्री राजेश नाहर	01 व 02	आवासीय	संयुक्त गृ.नि. स.स. की योजना नगरीय	664.62 वर्गगज	मिश्रित भू-उपयोग	मिश्रित भू-उपयोग

उपायुक्त जोन-7,
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7,
जविप्रा, जयपुर।
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 1792

दिनांक 15/9/2023

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू- उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (मू.नि. स.स./ निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान- 2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	7	श्री करण सिंह राठौड़ पुत्र श्री प्रेमसिंह राठौड़	श्री करण सिंह राठौड़ पुत्र श्री प्रेमसिंह राठौड़	1	आवासीय	राठौड़ नगर (श्री छत्रपति शिवाजी गृ. नि.स.स.)	466.14 व. ग.	आवासीय	व्यावसायिक

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ. नोट

विषय:- विज्ञापित प्रकाशन दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	विज्ञापित प्रकाशन का कारण
1	श्री विष्णु कुमार सैनी, हैमराज सैनी एवं भरत सैनी	श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री भवंर लाल	290	320.44	म्युचुअल	15-ए	नाम हस्तान्तरण	उत्तराधिकार के आधार
2	श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री गोपाल अग्रवाल	श्री दीपचन्द पुत्र श्री भवंर लाल	एफ-38-ए	131.00	सिंधु नगर	स्कीम 16एफ न्यू कालोनी	नियमन	अपजीकृत दस्तावेज

जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/23/डी-2777 दिनांक 14.09.2023

संयुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बंधित कार्यालय} फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बंधित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा आवासीय लीजडीड/फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-


क्र. सं.	आवेदक का नाम	लीजधारक/मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया है।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती मीरा	श्रीमती मीरा	61	218.75 व.ग.	श्री गणपति गृ.नि.स.स.	गणेश नगर, करधनी	फ्री होल्ड	आवंटन पत्र, साईट प्लान, रसीद, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, आदि।

उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का पट्टा आवेदक के पक्ष में जारी करने में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-218डी, में दर्ज करावें। 07 दिवस की अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार जॉब पश्चात् पट्टा/लीजडीड जारी कर दिया जावेगा।


उपायुक्त जोन-7,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.7/2023/डी- 1790
दिनांक :- 15/9/2023



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 1793

दिनांक 15/9/2023

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू- उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 7 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि. स.स./निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान- 2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	7	श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री चन्द्रभान सिंह	श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री चन्द्रभान सिंह	पुर्नगठित भूसं. ए-1 एवं ए-2	आवासीय	भान नगर-ए (दी कृष्णा गृ.नि.स.स.)	902.95 व. ग.	आवासीय	व्यावसायिक

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।